Regarding Need to improve the service conditions of Aanganwadi workers-Laid

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) :आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं देश के सामाजिक विकास की रीढ़ हैं । वे केवल पोषाहार वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 3-6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, स्वच्छता एवं पोषण अभियान को आगे बढ़ाना, गर्भवती व धात्री महिलाओं की देखभाल करना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने जैसे अहम कार्य कर रही हैं । पूरे देश में 12.93 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व 11.64 लाख सहायिकाएं हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1.54 लाख व 1.32 लाख कार्यरत हैं । इतने महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद, इन्हें मात्र ₹6,000 मासिक मानदेय मिलता है, जो परिवार चलाने के लिए अत्यंत अल्प है । Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 के तहत अन्य महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, परंतु इन्हें इसका लाभ नहीं । प्राथमिक विद्यालय गर्मी की छुट्टियों में बंद रहते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहते हैं और इन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं मिलता । सुप्रीम कोर्ट (Case No. 3153/2022) और गुजरात हाईकोर्ट (SCA No. 8164/2024) ने इन्हें सरकार की विस्तारित इकाई माना है और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान की अनुशंसा की है । मैं आग्रह करता हूं कि इनकी सेवा शर्तें नियमित हों, मानदेय में वृद्धि हो, मातृत्व एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की सुविधा दी जाए ।